क्रम-संख्या---43

रजि० नं० एल० डब्लू० /एन० पी० 890
लाइसेन्स नं० डब्लू० पी०—41
लाइसेन्स टू पोस्ट एट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग—1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, बृहस्पतिवार, 25 फरवरी, 1999

फाल्गुन 6, 1920 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायी अनुभाग—1

संख्या 461/सत्रह-वि-1—1 (क) 26-1998

लखनऊ, 25 फरवरी, 1999

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि (संशोधन) विधेयक, 1998 पर दिनांक 24 फरवरी, 1999 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 3 सन् 1999 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि (संशोधन) अधिनियम, 1999

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 3 सन् 1999)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

उत्तर प्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि अधिनियम, 1974 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के पचासवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

1—(1) यह अधिनियम, उत्तर प्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि (संशोधन) अधिनियम, 1999 कहा जायेगा। संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

(2) यह 3 दिसम्बर, 1998 को प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

उत्तर प्रदेश अधि-नियम संख्या 6 सन् 1974 की धारा 2 का संशोधन

2—उत्तर प्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि अधिनियम, 1974 की, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 2 में,—

(एक) खण्ड (क) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिये जायेंगे; अर्थात् :—

"(क) 'अधिवक्ता' का तात्पर्य स्टेट बार काउन्सिल की नामावली में नाम-निर्देशित एडवोकेट से है और इसमें ऐसे प्लीडर और अन्य विधि व्यवसायी भी, जो विधि व्यवसायी अधिनियम, 1879 के उपबन्धों के अधीन इस रूप में नाम-निर्देशित हों, सम्मिलित होंगे ;

(कक) 'बार एसोसियेशन' का तात्पर्य स्टेट बार काउन्सिल से संबद्ध बार एसोसियेशन से है" ;

(दो) खण्ड (ग) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जायगा, अर्थात् :—

"(गग) 'सदस्य' का तात्पर्य योजना के किसी सदस्य से है" ;

(तीन) खण्ड (च) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायगा, अर्थात् :—

"(च) 'वकालतनामा' के अन्तर्गत उपस्थित होने का ज्ञापन या कोई अन्य दस्तावेज भी है जिससे किसी अधिवक्ता को किसी न्यायालय, अधिकरण, प्राधिकारी या व्यक्ति के समक्ष उपस्थित होने, कार्य करने या अभिवचन करने की शक्ति प्राप्त हो, किन्तु इसके अन्तर्गत सरकार या सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले किसी अधिकारी की ओर से दाखिल किया गया कोई वकालतनामा या उपस्थिति का ज्ञापन नहीं है।"

धारा 3 का संशोधन

3—मूल अधिनियम की धारा 3 में :—

(क) उपधारा (1) में, खण्ड (ख) में,—

(एक) शब्द "कैन्टीन एवं अन्य सुविधाओं" के स्थान पर शब्द "कैन्टीन शेड एवं अन्य सुविधाओं" रख दिये जायेंगे; और

(दो) शब्द "जिला बार एसोसिएशनों" जहां कहीं भी आये हों, स्थान पर शब्द "बार एसोसिएशन" रख दिये जायेंगे,

(ख) उपधारा (3) में,—

(एक) खण्ड (ख) में शब्द "स्टेट बार काउन्सिल द्वारा" के स्थान पर शब्द "उसके द्वारा" रख दिये जायेंगे,

(दो) खण्ड (ख) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जायगा, अर्थात् :—

"(ख ख) स्टेट बार काउन्सिल के दो सदस्य जो उसके द्वारा निर्वाचित हों,"

(ग) उपधारा (4) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायगी, अर्थात् :—

"(4) उपधारा (3) के खण्ड (ख) के अधीन नाम निर्दिष्ट कोई सदस्य तब तक पद धारण करेगा जब तक कि स्टेट बार काउन्सिल के अध्यक्ष का पद महाधिवक्ता द्वारा धृत हो किन्तु वह किसी भी समय अध्यक्ष को सम्बोधित स्वहस्ताक्षरित लेख द्वारा अपनी सदस्यता से त्याग-पत्र दे सकता है।"

धारा 4 का संशोधन

4—मूल अधिनियम की धारा 4 को उसकी उपधारा (1) के रूप में पुनः संख्यांकित किया जायेगा और इस प्रकार पुनः संख्यांकित उपधारा (1) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जायगी, अर्थात् :—

"(2) किसी वित्तीय वर्ष में स्टेट बार काउन्सिल के पास भर्ती के प्रमाण-पत्रों के लिये अधिवक्ताओं द्वारा जमा किये गये स्टाम्प शुल्क के समकक्ष धनराशि, राज्य सरकार द्वारा उस वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात् यथा-शक्य शीघ्र निधि में अन्तरित की जायगी और ऐसा अन्तरण होने पर राज्य सरकार, उस वित्तीय वर्ष के लिए, उसके संबंध में अपने दायित्व से उन्मोचित हो जायगी।"

धारा 8 का संशोधन

5—मूल अधिनियम की धारा 8 में,—

(क) शब्द "और तत्पश्चात् वर्ष के दौरान उसके द्वारा अधिवक्ताओं के नामांकन के निमित्त वसूल की गई फीस के पच्चीस प्रतिशत के बराबर धनराशि का प्रतिवर्ष" निकाल दिये जायेंगे और सदैव से निकाले गये समझे जायेंगे,

(ख) अन्त में निम्नलिखित परन्तुक बढ़ा दिया जायगा, अर्थात् :—

"परन्तु इस धारा के, जैसी कि वह उत्तर प्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि (संशोधन) अधिनियम, 1998 के पूर्व थी, अधीन स्टेट बार काउन्सिल द्वारा दी गयी अभिदान की कोई धनराशि वापिस नहीं की जायगी।"

धारा 9 का संशोधन

6—मूल अधिनियम की धारा 9 में, उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायगी, अर्थात् :—

"(1) प्रत्येक अधिवक्ता अपने द्वारा स्वीकृत वकालतनामा पर किसी न्यायालय या अधिकरण या किसी अन्य प्राधिकारी या व्यक्ति को दाखिल किये जाने वाले वकालतनामा की स्थिति में पांच रुपये के मूल्य का कल्याणकारी स्टाम्प लगायेगा और कोई न्यायालय, अधिकरण, प्राधिकारी या व्यक्ति ऐसे अधिवक्ता के पक्ष में कोई वकालतनामा ग्रहण नहीं करेगा जब तक कि उस पर तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन अपेक्षित किसी स्टाम्प के अतिरिक्त ऐसा स्टाम्प न लगा हो।"

धारा 10 का संशोधन

7—मूल अधिनियम की धारा 10 में,—

(क) उपधारा (1) में शब्द "राज्य सरकार" के स्थान पर शब्द "बार काउन्सिल" रख दिये जायेंगे,

(ख) उपधारा (3) में शब्द "मुद्रण" के स्थान पर शब्द और कोष्ठक "मुद्रण (जिसे बार काउन्सिल को भुगतान किया जायगा)" रख दिये जायेंगे,

(ग) उपधारा (4) में शब्द "मुद्रित और बेचे गये कल्याणकारी स्टाम्पों की संख्या, काटा गया खर्च" के स्थान पर शब्द "बार काउन्सिल से प्राप्त और बेचे गये कल्याणकारी स्टाम्पों की संख्या, काटा गया खर्च, बार काउन्सिल को भुगतान किया गया मुद्रण का खर्च" रख दिए जायेंगे,

(घ) उपधारा (4) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जायगी, अर्थात् :—

"(5) राज्य सरकार मुद्रण प्रभार की वसूली पर कल्याणकारी स्टाम्पों के मुद्रण के लिये राजकीय प्रेस को सेवायें प्रदान कर सकती है।"

नई धारा 10-क का बढ़ाया जाना

8—मूल अधिनियम की धारा 10 के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जायगी, अर्थात् :—

"10-क (1) धारा 10 में किसी बात के होते हुए भी, कल्याणकारी स्टाम्पों की अस्थायी कमी की दशा में कल्याणकारी स्टाम्पों का मूल्य न्यायालय, अधिकरण, प्राधिकारी या व्यक्ति के ऐसे अधीनस्थ अधिकारी या लिपिक को, जिसे ऐसे न्यायालय, अधिकरण, प्राधिकारी या व्यक्ति द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाय, नकद भुगतान किया जा सकता है और ऐसा अधीनस्थ अधिकारी या लिपिक उसके लिए एक रसीद देगा जिसे वकालतनामा पर चस्पा किया जायगा और ऐसे चस्पा का वही प्रभाव होगा मानो उस धनराशि का कल्याणकारी स्टाम्प इस अधिनियम के अनुसार सम्यक् रूप से चस्पा किया गया हो।

कल्याणकारी स्टाम्प की अनुपलब्धता की दशा में उपबन्ध

(2) उपधारा (1) के अधीन नकद प्राप्त करने वाला अधीनस्थ अधिकारी या लिपिक उसे कोषागार में ऐसे शीर्षक के, जैसा राज्य सरकार अधिसूचित आदेश द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे, अधीन जमा करेगा।"

धारा 11 का संशोधन

9—मूल अधिनियम की धारा 11 में,—

(क) उपधारा (5) में, खण्ड (ग) के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक स्पष्टीकरण के पूर्व बढ़ा दिये जायेंगे, अर्थात् :—

"परन्तु सरकारी अधिवक्ता निधि में अपने वार्षिक चन्दा के साथ ऐसे प्रत्येक कलेण्डर वर्ष या उसके भाग के लिए, जिसके दौरान वह सरकारी

अधिवक्ता रहा हो, पचास रुपये प्रतिवर्ष अतिरिक्त धनराशि का भुगतान करेगा :

परन्तु यह और कि कोई सदस्य अपने विकल्प पर आजीवन चन्दे के रूप में तीन हजार रुपये, और यदि वह सरकारी अधिवक्ता हो तो तीन हजार पांच सौ रुपये का एक मुश्त भुगतान कर सकता है :

परन्तु यह और भी कि राज्य सरकार न्यासी समिति से परामर्श करने के पश्चात्, अधिसूचित आदेश द्वारा, वार्षिक और आजीवन चन्दे की दर में परिवर्तन कर सकती है।"

(ख) स्पष्टीकरण में, खण्ड दो के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जायगा, अर्थात् :—

"(तीन) किसी सरकारी अधिवक्ता का तात्पर्य सरकार या सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी निकाय, प्राधिकारी या किसी निगम द्वारा, किसी न्यायालय, अधिकरण, प्राधिकारी या किसी व्यक्ति के समक्ष उसका प्रतिनिधित्व करने के लिए, नियुक्त किए गए ऐसे किसी अधिवक्ता से है जो, यथास्थिति, सरकार या ऐसे निकाय, प्राधिकारी या निगम से रिटेनरशिप या मासिक वेतन के रूप में कोई धनराशि प्राप्त करता हो।"

धारा 13 का प्रतिस्थापन

10—मूल अधिनियम की धारा 13 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायगी, अर्थात् :—

सदस्यता समाप्त होने पर निधि से भुगतान

"13—(1) किसी सदस्य की मृत्यु हो जाने की दशा में उसके नामांकिती या जहां कोई नामांकिती न हो उसके विधिक वारिसों को निधि से उसकी सदस्यता के प्रत्येक सम्पूरित वर्ष के लिए पांच हजार रुपये की दर से संगणित धनराशि का, जो पच्चीस हजार रुपये से अन्यून और एक लाख पचास हजार रुपए से अनधिक हो, भुगतान किया जायेगा।

(2) किसी सदस्य को, धारा 12 की उपधारा (1) के खण्ड (ख), (ग) या (घ) के अधीन सदस्य न रह जाने पर निधि से निम्नलिखित प्रकार से भुगतान किया जायेगा :—

(एक) सदस्यता के प्रत्येक सम्पूरित वर्ष के लिए दो हजार रुपये प्रतिवर्ष की दर से संगणित धनराशि, यदि वह अपनी सदस्यता के सम्पूरित वर्ष के बारह वर्ष के पश्चात् और पच्चीस वर्ष के पूर्व त्याग-पत्र देता है,

(दो) सदस्यता के प्रत्येक सम्पूरित वर्ष के लिए, अधिकतम एक लाख पचास हजार रुपए के अध्यधीन रहते हुए, पांच हजार रुपये प्रतिवर्ष की दर से संगणित धनराशि, यदि वह अपनी सदस्यता के सम्पूरित पच्चीस वर्ष के पश्चात् त्याग-पत्र देता है;

(तीन) उसके द्वारा संदत्त वार्षिक चन्दे के कुल योग के बराबर धनराशि, और उस पर ऐसी दर से साधारण ब्याज, जो न्यासी समिति समय-समय पर नियत करे, यदि वह ऐसे अन्य कारण से जो उपधारा (1) या उपधारा (2) से आच्छादित न हो, सदस्य न रह जाय।

(3) इस धारा के प्रयोजनों के लिए सदस्यता के सम्पूरित वर्ष की संगणना के लिए योजना का सदस्य बनने के पूर्व प्रत्येक पांच वर्ष के विधि व्यवसाय, यदि कोई हो, का योजना की सदस्यता, के एक वर्ष के रूप में संगणित किया जायगा।"

नई धारा 14-क का बढ़ाया जाना

11—मूल अधिनियम की धारा 14 के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जायेगी, अर्थात् :—

योजना के सदस्य के लिए विशेष उपबन्ध

"14-क—जहां कोई अधिवक्ता जो इस अधिनियम के, जैसा कि वह उत्तर प्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि (संशोधन) अधिनियम, 1998 के प्रारम्भ के ठीक पूर्व था, अधीन योजना का सदस्य है, ऐसे प्रारम्भ के दो मास के भीतर, योजना का सदस्य न बने रहने का विकल्प देता है, वहां उसे ऐसी धनराशि जिसके लिए वह धारा 13 के, जैसा कि वह ऐसे प्रारम्भ के पूर्व थी, अधीन हकदार हो भुगतान की जायेगी और ऐसा अधिवक्ता पुनः योजना की सदस्यता में सम्मिलित नहीं किया जायेगा। यदि ऐसा कोई विकल्प नहीं दिया जाता है तो ऐसा अधिवक्ता योजना का सदस्य बना रहेगा।"

संक्रमणकालीन उपबन्ध

12—जहां कोई अधिवक्ता इस अधिनियम के प्रारम्भ के पूर्व किसी मामले में कोई वकालतनामा दाखिल कर चुका हो और ऐसे प्रारम्भ के पश्चात् ऐसे वकालतनामा के अनुसरण में उस मामले में उपस्थित होना, कार्य करना या अभिवचन करना जारी रखे वहां वह ऐसे प्रारम्भ के पश्चात् उस मामले की सुनवाई के प्रथम दिनांक को या उसके एक आवेदन-पत्र के माध्यम से कल्याणकारी स्टाम्प दाखिल करेगा।

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 14 सन् 1998

निरसन और व्यावृत्ति

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 12 सन् 1998

13—(1) उत्तर प्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि (संशोधन) (द्वितीय) अध्यादेश, 1998 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुये भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा या उत्तर प्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि (संशोधन) अध्यादेश, 1998 द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अध्यादेश द्वारा यथा-संशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायेगी मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारवान समय पर प्रवृत्त थे।

आज्ञा से,
योगेन्द्र राम त्रिपाठी,
प्रमुख सचिव।

No, 461 (2)/XVII-V-1—1 (KA)-26-1998

Dated Lucknow, February 25, 1999

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Adhivakta Kalyan Nidhi (Sanshodhan) Adhiniyam, 1999 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 3 of 1999) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on February 24, 1999.

THE UTTAR PRADESH ADVOCATES WELFARE FUND (AMENDMENT) ACT, 1999

(U. P. ACT NO. 3 OF 1999)

[As passed by the Uttar Pradesh Legislature]

AN
ACT

further to amend the Uttar Pradesh Advocates Welfare Fund Act, 1974.

IT IS HEREBY enacted in the Fiftieth Year of the Republic of India as follows :

Short title and commencement

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Advocates Welfare Fund (Amendment) Act, 1999.

(2) It shall be deemed to have come into force on December 3, 1998.

Amendment of section 2 of U. P. Act no. 6 of 1974

2. In section 2 of the Uttar Pradesh Advocates Welfare Fund Act, 1974, hereinafter referred to as the principal Act, —

(*i*) *for* clause (*a*), the following clauses shall be *substituted*, namely :—

"(*a*) "Advocate" means an Advocate enrolled on the roll of the State Bar Council and shall include the pleaders and other legal practitioners enrolled as such under the provisions of the Legal Practitioners Act, 1879 ;

(*aa*) "Bar Association" means a Bar Association affiliated to the State Bar Council" ;

(*ii*) *after* clause (*c*) the following clause shall be *inserted*, namely:—

"(*cc*) "member" means a member of the Scheme" ;

(*iii*) *for* clause (*f*) the following clause shall be *substituted*, namely :—

"(*f*) "Vakalatnama" includes a memorandum of appearance or any other document by which an Advocate is empowered to appear, act or plead before any court, tribunal, authority or person but does not include any Vakalatnama or memorandum of appearance filled on behalf of the Government or an officer representing the Government."

Amendment of section 3

3. In section 3 of the principal Act,—

(*a*) in sub-section (1), in clause (*b*),—

(*i*) *for* the words "canteens and other facilities" the words "canteens, sheds and other facilities" shall be *substituted*; and

(*ii*) *for* the words "District Bar Associations" wherever occuring, the words "Bar Associations" shall be *substituted* ;

(*b*) in sub-section (3),—

(*i*) in clause (*b*) *for* the words "by the State Bar Council", the words "by him" shall be *substituted* ;

(*ii*) *after* clause (*b*) the following clause shall be *inserted*, namely :—

"(*bb*) two members of the State Bar Council, elected by it,"

(*c*) *for* sub-section (4), the following sub-section shall be *substituted*, namely:—

"(4) A member nominated under clause (*b*) of sub-section (3) shall hold office till the office of the Chairman State Bar Council is held by the Advocate General, but he may at any time by writing under his hand addressed to the Chairman, resign his membership."

Amendment of section 4

4. Section 4 of the principal Act shall be re-numbered as sub-section (1) thereof, and *after* sub-section (1) as so renumbered, the following sub-section shall be *inserted*, namely:—

"(2) An amount equivalent to the stamp duty deposited by Advocates for certificates of enrolment with the State Bar Council in a financial year shall be transferred by the State Government to the Fund as soon as may be *after* the end of that financial year and such transfer shall discharge the State Government of its liability in respect thereof, for that financial year."

Amendment of section 8

5. In section 8 of the principal Act,—

(*a*) the words "and thereafter annually an amount equal to twenty-five percentum, of the fees realised by it on account of enrolment of Advocates during the year" shall be *omitted* and be deemed always to have been *omitted* ;

(*b*) the following proviso shall be *inserted* at the end, namely:—

"Provided that any amount contributed by the State Bar Council under this section as it stood prior to the commencement of the Uttar Pradesh Advocates Welfare Fund (Amendment) Act, 1998, shall not be refundable."

Amendment of section 9

6. In section 9 of the principal Act, *for* sub-section (1), the following sub-section shall be *substituted*, namely :—

"(1) Every advocate shall affix on the Vakalatnama accepted by him a Welfare Stamp of the value of five rupees and no court, tribunal, authority or person shall receive any Vakalatnama in favour of such advocate unless it is so stamped in addition to any stamp required under any other law for the time being in force."

Amendment of section 10

7. In section 10 of the principal Act,—

(*a*) in sub-section (1) *for* the words "State Government" the words "Bar Council" shall be *substituted*;

(*b*) in sub-section (3) *for* the word "Printing" the words and brackets "printing (which shall be paid to the Bar Council)" shall be *substituted*;

(*c*) in sub-section (4) *for* the words "printed and sold, the details of costs deducted" the words "received from the Bar Council and sold, the details of costs deducted, the cost of printing paid to the Bar Council" shall be *substituted*;

(*d*) *after* sub-section (4) the following sub-section shall be *inserted*, namely :—

"(5) The State Government may provide the services of Government Press for printing of welfare stamps on realizing the printing charges."

Insertion of new section 10-A

8. *After* section 10 of the principal Act, the following section shall be *inserted*, namely :—

Provision in case of non-availability of Welfare Stamps

"10—A. (1) Notwithstanding any thing contained in section 10, in case of tamporary shortage of Welfare Stamps, the value of Welfare Stamps may be paid in cash to such subordinate officer or clerk of the court, tribunal, authority or person as may be specified by such court, tribunal authority or person and such subordinate officer or clerk shall give a receipt for the same which shall be affixed on the Vakalatnama, and such affixation shall have the same effect as if the Welfare Stamp of that amount has been duly affixed in accordance with this Act.

(2) The subordinate officer or the clerk receiving the cash under sub-section (1) shall deposit it in the Treasury under such Head as the State Government may by notified order specify in this behalf."

Amendment of section 11

9. In section 11 of the principal Act,—

"(*a*) in sub-section (5), *after* clause (*c*) the following provisos shall be *inserted* before the explanation, namely :—

"Provided that the Government Advocates shall pay an additional amount of rupees fifty per annum with their annual subscription for every calendar year or part thereof during their tenure a Government Advocate :

Provided further that a member at his option may make one time payment of life subscription of rupees three thousand and in the case of his being Government Advocate rupees three thousand five hundred :

Provided also that the State Government may, after consultation with the Trustees Committee, by a notified order, vary the rates of annual and life subscription."

(*b*) in the Explanation *after* clause (*ii*) the following clause shall be *inserted*, namely:—

"(*iii*) "Government Advocate" means an Advocate engaged by the Government or a body, authority or corporation owned or controlled by the Government to represent it before a court, tribunal, authority or a person who received any amount by way of retainership or monthly allowance from the Government or such body, authority or corporation, as the case may be."

Substitution of section 13

10. *For* section 13 of the principal Act, the following section shall be *substituted*, namely:—

Payment from the Fund on cessation of membership

"13 (1) In the event of a death of member, his nominee or where there is no nominee, his legal heirs shall be paid from the Fund an amount calculated at the rate of rupees five thousand per annum for every completed year of his membership which shall not be less than rupees twenty five thousand and more than rupees one lakh fifty thousand

(2) A member shall on ceasing to be a member under clause (*b*), (*c*) or (*d*) of sub-section (1) of section 12, shall be paid from the Fund,—

(*i*) if he resigns after twelve years and before twenty five completed years of his membership, an amount calculated at the rate of two thousand rupees per annum for every completed year of membership ;

(*ii*) if he resigns after twenty five completed years of his membership, an amount calculated at the rate of five thousand rupees per annum for every completed year of membership subject to a maximum of rupees one lakh fifty thousand;

(*iii*) if he ceases to be such member due to any other cause not covered by sub-section (1) or sub-section (2), an amount equal to the aggregate of his subscription paid by him and simple interest thereon at such rate as the Trustees Committee may, from time to time, fix.

(3) For a calculating the completed years of membership for the purposes of this section, every five years of practice at bar, if any, before admission of a member to the scheme shall be completed as one year of membership of the Scheme."

Insertion of new section 14-A

11. *After* section 14 of the principal Act, the following section shall be *inserted*, namely :—

Special provisions for the member of the Scheme

"14-A Where an Advocate who is a member of the Scheme under this Act as it stood immediately before the commencement of the Uttar Pradesh Advocates Welfare Fund (Amendment) Act, 1998, within two months of such commencement, opts not to continue as a member of the Scheme he shall be paid an amount to which he is entitled under section 13 as it stood before such commencement and such Advocate shall not be admitted again to the membership of the Scheme. If no such option is given such Advocate shall continue as a member of the Scheme."

Transitory provision

12. Where an Advocate has filed a Vakalatnama in a case before the commencement of this Act and continues to appear, Act or plead in that case in pursuance of such Vakalatnama, after such commencement he shall file a Welfare Stamp through an application on or before the first date of hearing of that case after such commencement.

Repeal and Savings

13. (1) The Uttar Pradesh Advocates Welfare Fund (Amendment) (Second) Ordinance, 1998 is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the principal Act as amended by the Ordinance referred to in sub-section (1), or by the Uttar Pradesh Advocates Welfare Fund (Amendment) Ordinance, 1998 shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of the principal Act as amended by this Act as if the provisions of this Act were in force at all material times.

By order,

Y. R. TRIPATHI,

Pramukh Sachiv.